

# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/पदस्थापन निर्देश/2016/

दिनांक-19/01/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त।

विषय : राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम एवं द्वितीय के पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/ पदस्थापन बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम एवं द्वितीय के पद पर चयन रिशफल जारी करने के पश्चात शेष रहे पदों को भरने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या-2094/2019 कुलदीप कुमार अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा 18 अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक: 20.07.2020 तथा एस. बी. सिविल याचिका संख्या-11675/2019 विक्रम सिंह सारण व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित समेकित निर्णय दिनांक: 17.08.2020 एवं एस. बी. सिविल याचिका संख्या-2208/2020 दुर्गा राम मेघवाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक: 11.09.2020 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रिक्त रहे पदों को वरियता सूची में से आरक्षित सूची जारी कर/प्रभावी कर भरे जाने हेतु शासन के पत्रांक प.5(18)प्राशि/2017 जयपुर दिनांक: 18.12.2020 द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत शेष रहे रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन की उक्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय द्वारा लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु प्रतीक्षा सूची एवं जिला आवंटन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई है:-

क्र. सं.	पदनाम	क्षेत्र	विषय	प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि	जिला आवंटन करने की तिथि
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	.....	29.12.2020	18.01.2021
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा	अनुसूचित	.....		
3	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	अंग्रेजी	11.01.2021	18.01.2021
		अनुसूचित			
4	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	हिन्दी		
		अनुसूचित			
5	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	विज्ञान और गणित		
		अनुसूचित			
6	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	समाजिक अध्ययन		
		अनुसूचित			
7	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	संस्कृत		
		अनुसूचित			
8	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा	गैर अनुसूचित	उर्दू		

उक्त शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:-

1. शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्तियों के प्रावधान/शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जानी है। विज्ञप्तियों की प्रतियां विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) से डाउनलोड की जावे।
2. शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, विधवा/परित्यक्ता, विकलांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र इत्यादि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना की जाऐ।
3. शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत लेवल प्रथम हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक: 07.05.2018 अथवा इससे पूर्व की तथा लेवल द्वितीय हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक: 25.08.2018 अथवा इससे पूर्व की समस्त योग्यताओं (यथा-शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यता, खेल प्रमाण-पत्र, विवाह विच्छिन्न डिक्री, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र इत्यादि) के प्रमाण-पत्र होने अनिवार्य है, इस सम्बन्ध में पुख्ता पुष्टि करवाई जाने के उपरान्त ही पदस्थापन की कार्यवाही की जाऐ।

96

4. दिव्यांग प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया अनिवार्य है जिसमें कम से कम 03 चिकित्सक शामिल हो, जिसमें से एक चिकित्सक उस रोग का विशेषज्ञ हो।
5. राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्यों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता होने की स्थिति में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्रमाणीकरण करवाये जाने के बाद ही नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जाए।
6. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंकों का प्रमाणीकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वेबसाइट से करे तथा किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड से प्रमाणीकरण करवाया जाए।
7. आरक्षित वर्ग में चयनित विवाहित महिलायें जो अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त राजस्थान राज्य में प्रवासित हुई है, उन्हें आरक्षित पद पर नियुक्ति देय नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करे।

शिक्षक भर्ती, 2018 अन्तर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों की लेवलवार, नामवार, विषयवार सूचियां प्रेषित कर लेख है कि नवचयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं नियुक्ति/पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्न कलेण्डर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे:-

क्र.सं.	विषय	दिनों की संख्या
1	सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करना।	10 दिवस (21.01.2021 से 30.01.2021 तक)
2	सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	03 दिवस (31.01.2021 से 02.02.2021)
3	विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	01 दिवस (03.02.2021)
4	विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिये रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूचियों का प्रकाशन किया जाना।	01 दिवस (04.02.2021)
5	विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैम्पों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	02 दिवस (05.02.2021 से 06.02.2021 तक)
6	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना।	03 दिवस (07.02.2021 से 09.02.2021 तक)

अतः उक्त कलेण्डर के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।  
संलग्न: चयनित अभ्यर्थियों की सूची मय डाटा।

भवदीय



(सौरभ स्वामी)  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. उप विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि), जयपुर/जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा।
10. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)  
राजस्थान, बीकानेर